न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– मुन्नीराम बागड़िया
(आर0ए0एस0)

अपील संख्या 13/2012

1. राजीलाल पुत्र झाबर
2. अशोक पुत्र शिवलाल
3. मनीष पुत्र शिवलाल
4. हरकोरी पत्नी शिवलाल
5. भागोती पुत्री शिवलाल
6. गायत्री पुत्री शिवलाल

जाति समस्त जाट निवासीगण खींवासर तन उबली का बालाजी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं (राज0)

अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत छऊ जरिये सरंपच रघुवीर सिंह
2. पटवारी छऊ जरिये पटवारी छऊ सुरजमल सैनी
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी

रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय प्रार्थना–पत्र अ0 धारा आदेश 01 नियम 10 सिविल प्रकिया संहिता एंव आदेश 41 नियम 20 सी0पी0सी0

निर्णय दिनांकः– 25·9·17

अधिवक्ता प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टगण के अधिवक्ता श्री उम्मेदराज सैनी एवं श्री रविराज सैनी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 01 व नियम 10 एंव आदेश 41 नियम 20 सी0पी0सी0 का इस आश्य का पेश कर निवेदन किया है कि अदालत मातहत के समक्ष साक्ष्य स्वरूप प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 एल.आर.एक्ट पेश किया था जिसका निर्णय अदालत मातहत ने विधिनुकुल सुनावाई करते हुए दिनांक 17.2.2012 को कर दिया जिसके विरूद्ध अपील श्रीमान जी के न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलान्ट ने उक्त अपील में प्रार्थीगण को पक्षकार नही बनाया जबकि अदालत मातहत के समक्ष उपरोक्त व्यक्ति ही शिकायतकर्ता थे इसलिए उपरोक्त व्यक्तियों का हित पूर्णतया प्राभावित है। उक्त अपील के निर्णय से पूर्व प्रार्थीगण को पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनूं

होगा। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवदेन है कि प्रार्थीगण को उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट्स के रूप में पक्षकार बनाये जाने का आदेश प्रदान करे।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रार्थना–पत्र का जबाब न देकर सीधी बहस श्रवण करने का निवेदन किया। बहस के दौरान प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स के अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया तथा प्रार्थना–पत्र श्रवण करने का निवदेन किया। अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना–पत्र खारिज करने का निवदेन किया।

बहस श्रवण की गई। पत्रावली की ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण का हित निहित होना प्रभावित होता है। अतः प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 01 नियम 10 व आदेश 41 नियम 20 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 01 नियम 10 व आदेश 41 नियम 20 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाता है तथा अपील संख्या 13/12 उनवान रामजीलाल आदि बनाम सरंपच ग्राम पंचायत छऊ जरिये संरपच रघुवीर सिंह आदि में प्रार्थीगण नाथूसिंह, श्रवण कुमार, जगदीश प्रसाद, गुलझारीलाल को रेस्पोडेन्ट्स संख्या 04 लगायत 06 के रूप में पक्षकार कायम किया जाता है। उक्त पक्षकार का नाम अपील में लाल स्याही से अंकित किया जावें।

अति0 जिला कलक्टर
झुंझुनूं

निर्णय आज दिनांक 25/10/10 को मेरे द्वारा अलग से टकिंत करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति0 जिला कलक्टर
झुंझुनूं